न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	7/1/19 "[illegible] P.O. सहा[illegible] राज कार्य म व्यस्त है, आयन्दा दिनांक [illegible]/19 को उनके [illegible] पेश हो।" रीडर
7/3/19 दावा खारिज बहादुर [illegible] Identified [signature]	वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता। किन्तु [illegible] वादी सं. 1 की ओर से श्री [illegible] ने [illegible] एवं वादीगण की पहचान की। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया गया। वादीगण अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं किन्तु [illegible] वाद खारिज किया जाता है। पक्षकारान [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] 7/3/19 उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, अलवर

पीठासीन अधिकारी – पुष्कर राज शर्मा (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
188 / 09	29.07.2009	9-11-2012

उनवान

1 बहादुर
2 जवाहरलाल पुत्रान श्रीराम जाति अहीर
निवासी ग्राम खेडी तह. व जिला रेवाडी, हरियाणा।

:– वादीगण

बनाम

1 बीरमति पत्नी रामौतार जाति अहीर निवासी
खेडा मोतला तह. व जिला रेवाडी, हरियाणा।
2 शुभराम पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी
खेडी मोतला तह. बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
3 श्रीमती लालीदेवी पत्नी ओमकार जाति अहीर निवासी
खेडी मोतला तह. बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
4 संतरादेवी पुत्री ओमकार।
5 रामकिशन पुत्र ओमकार।
6 सावित्री पुत्री ओमकार।
7 सुखराम उर्फ साहब पुत्र ओमकार।
8 रामौतार पुत्र ओमकार।
9 ओमप्रकाश पुत्र ओमकार।
10 मछलादेवी पुत्री ओमकार।
11 राजपाल पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी
खेडी मोतला तह. बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

:– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता
1 श्री नरहरि व्यास – प्रार्थीगण
2 श्री रामफल यादव – अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956
सपठित धारा 151 जा.दी.

निर्णय

प्रार्थीगण / वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा बिला प्रतिफल बिला जेर बदल बिना कब्जा गलत अंकन के कारण एवं नुमाईशी पोशिंदा बयनामा बहक प्रतिवादिया संख्या 1 दिनांक 18.07.2009 को तहरीर कराकर दिनांक 28.07.2012 को उप पंजीयक कोटकासिम से पंजीबद्व कराया जो बयनामा तथाकथित दौराने कार्यवाही वाद लिसपैण्डेसी ऑफ सूट करवाया है।

दोनो वादपत्र मे आराजी मुतदाविया एक समान है एवं पक्षकारान भी एक समान है एवं अनुतोष भी एक समान है तथा दोनो वादपत्रो मे व्युत्पन्न अधिकार सारतः व प्रत्यक्षतः एक समान है एवं विवाद्यक दोनो वादपत्रो मे एक समान है। इसलिए दोनो वादपत्रो को सम्मलित (कन्सोलिडेटेड) किया जाकर एक साथ सुनवाई किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि बहादुर बनाम बीरमति का वाद गलत तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया गया है और पक्षकारान भी अलग है। इसलिए बहादुर बनाम सत्यपाल के वाद के साथ किसी भी रूप से बहादुर बनाम बीरमति का वाद जोडा नही जा सकता। वास्तविकता यह है सत्यपाल वगैहरा ने बीरमति के पक्ष मे जो बयनामा कराया है वो कानून संगत है। यदि कोई एतराज भी था तो वादीगण को उनवानी वाद बहादुर बनाम सत्यपाल के वाद मे ही संशोधन कराना चाहिए था। नया दावा गलत पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद एक नुमायशी विक्रय पत्र कराया गया है जो वादीगण के विरूद्ध बेअसर है। इस वाद एवं पूर्व मे दायर उनवानी वाद बहादुर बनाम सत्यपाल मे विवादित आराजी एवं पक्षकार समान है। दोनो दावो की प्रकृति समान है। इसलिए दोनो वाद को कन्सोलिडेट किया जाना न्यायहित मे है। ताकि कोई विरोधाभास उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आर.एल.डब्ल्यु 2012 (1) आर. जे. पृष्ठ 303 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के सुयोग्य अधिवक्ताओ की बहस है कि इस वाद एवं पूर्व वाद मे पक्षकार व वाद की प्रकृति समान नही है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे एक वाद उनवानी बहादुर बनाम सत्यपाल पेश किया था। उसी आराजी के सम्बंध मे प्रार्थीगण द्वारा पूनः वाद प्रस्तुत कर दिया। जबकि प्रार्थीगण को पूर्व वाद मे संशोधन कराना चाहिए था। दोबारा वाद लाया जाना कानून का दुरूपयोग है। प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया विक्रय पत्र कानून संगत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण /वादीगण द्वारा इस न्यायालय मे पूर्व मे एक वाद उनवानी बहादुर बनाम सत्यपाल विचाराधीन है। दौराने उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा एक विक्रय पत्र विवादित आराजी खसरा संख्या 165 रकबा 7.56 हैक्टेयर के 1/20 हिस्से का इस वाद की प्रतिवादी संख्या 1 बीरमति के पक्ष मे पंजीबद्व कराया गया है। प्रार्थीगण द्वारा बीरमति को पूर्व वाद मे पक्षकार नही बनाया जाकर नया वाद लाया गया है। अब दोनो वाद को कंसोलिडेट किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो उचित नही माना जा सकता। यदि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व वाद मे संशोधन कराया जाता तो नया वाद दायर करने की आवश्यकता ही नही थी ओर ना ही दोनो वाद को कन्सोलिडेट करने की आवश्यकता होती। मै अप्रार्थीगण की इस दलील से सहमत हूँ कि प्रार्थीगण द्वारा नया वाद लाकर कानून का दुरूपयोग किया गया है एवं प्रार्थीगण को बीरमति के विरूद्व नया वाद दायर करने के बजाय पूर्व वाद मे संशोधन कराना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण मे प्रार्थीगण की कोई मदद नही करता।

आदेश

अतः प्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-11-2012 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner